भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–161/2018–19

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
21.02.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 30.03.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 30.03.2019 को उपस्थापित करें। 21.2.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
30.03.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 06.05.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 06.05.2019 को उपस्थापित करें । 30.3.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
06.05.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नही दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता को भूमि क्रय–बिक्रय/भूमि अंतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्राभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अंदर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही है उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है। 6.5.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
28.06.2019	अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता एवं क्रेता के द्वारा दिनांक 28.06.2019 को आवेदन पत्र दिया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा TA Misc Case No.-161/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन न्यायालय को विलम्ब से भेजे जाने के कारण एवं क्रेता द्वारा भूमि क्रय करने में रूची नहीं लेने के कारण वाद की कार्रवाई स्थगित हो गया है। क्रेता एवं बिक्रेता उक्त वाद में वर्णित भूमि क्रय बिक्रय हेतु सहमत हैं। द्वारा उक्त अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए भूमि अंतरण हेतु अनुरोध किया गया है। क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के आलोक में अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए बिक्रेता को भूमि अंतरण हेतु **स्वीकृति** दी जाती है। **आदेश** अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक– **307**, दिनांक– **08.06.2019** द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक **11.06.2019** को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **चन्दन उराँव**, पिता– **स्व0 मनसा उराँव**, जाति– **उराँव (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **मंडल साई**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि आवासीय भूमि है। आवेदित भूमि मौजा–**कुरूलिया नं0–1**, थाना नं0– **62**, थाना– **चक्रधरपुर**, खाता नं0– **122**, प्लॉट नं0– **616**, **रकवा– 0.20 ए0** भूमि क्रेता **मोटु तिर्की**, पिता– **श्री दुलिया तिर्की**, जाति– **उराँव (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **कुरूलिया नं0–1**, टोला–**मंडल साई**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **चन्दन उराँव**, पिता– **स्व0 मनसा उराँव**, जाति– **उराँव (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **मंडल साई**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना– **चक्रधरपुर**, जिला– **प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति **उराँव (अ.ज.जा.)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **ईलाज एवं अन्य घरेलु कार्यों** हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत **रकवा– 3.07.000 ए0** अवशेष भूमि बचता हैं। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **चन्दन उराँव**, पिता– **स्व0 मनसा उराँव**, जाति– **उराँव (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **मंडल साई**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** उक्त भूमि **1,00,000/– (एक लाख)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। 28.6.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	